संख्या-1/2015/आडिट-2576(1)/दस-2015-350(3)/2015

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
अनु सचिव,
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग लखनऊ : : दिनांक 18 सितम्बर, 2015

विषय :- शासनादेश संख्या-आडिट-2576/दस-2015-350(3)/2015 दिनांक 19-8-2015 को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-आडिट-2576/दस-2015-350(3)/2015 दिनांक 19-8-2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग में कार्यरत कनिष्ठ सहायकों को शासकीय सेवा में प्रथम ए0सी0पी0 के रूप में ग्रेड वेतन रू0 2400/- के स्थान पर रूपये 2800/- किये जाने के सम्बन्ध में अनुमन्यता के आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये थे ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश संख्या-आडिट-2576/दस-2015-350(3)/2015 दिनांक 19-8-2015 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

भवदीया,

(उमा द्विवेदी)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in